

वशिव उपभोक्ता अधिकार दविस 2023

उपभोक्ता मामले वभिग द्वारा 15 मार्च को **वशिव उपभोक्ता अधिकार दविस** मनाया गया। वर्ष 2023 के लयि वशिव उपभोक्ता अधिकार दविस का वषिय "हरति ऊरजा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना" है।

- यह अधिकि सथायी और उपभोक्ता-अनुकूल पारसिथितिकि नरिमाण की दशि में एक कदम है। भारत में हर साल 24 दसिंबर को **राष्ट्रीय उपभोक्ता दविस** के रूप में मनाया जाता है।

उपभोक्ता अधिकारों से संबंधति वर्तमान पहलें क्या हैं?

- पारंपरिक स्रोतों पर नरिभरता को कम करना:
 - इसका मुख्य लक्ष्य जीवाश्म ईंधन जैसे पारंपरिक ऊरजा स्रोतों पर नरिभरता को कम करने के लयि प्रौद्योगिकि का उपयोग करना है और स्वच्छ ऊरजा विकल्पों पर त्वरति संक्रमण को सक्षम करना है जो स्थरिता, सुरक्षा, सामर्थ्य तथा पहुँच को बढ़ावा देकर दीर्घ अवर्धा में उपभोक्ताओं को लाभान्वति करेगा।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन:
 - **ई-कॉमर्स** उपभोक्ताओं हेतु खरीदारी का सबसे पसंदीदा माध्यम बन गया है। हालाँकि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline- NCH) पर उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकृत ई-कॉमर्स शकियतों की संख्या में वृद्धि हुई है।
 - इसलयि अधिकि शकियतें प्रापत करने और धन वापसी, प्रतसिथापन, साथ ही शकियत नविवरण में तेज़ी लाने हेतु NCH को तकनीकी रूप से मज़बूत कयिा जा रहा है।
 - NCH मुकदमेबाज़ी से पहले के स्तर पर एक वैकल्पिक वविाद नविवरण तंत्र के रूप में काम करता है। NCH 17 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है, जनिमें हाल ही में जोड़ी गई मैथली, कश्मीरी और संथाली भाषाएँ शामिल हैं।
- ई-दाखलि पोर्टल:
 - उपभोक्ता शकियतों की ऑनलाइन फाइलिंग की सुवधि हेतु **ई-दाखलि पोर्टल** की सथापना की गई है।
 - यह प्रासंगिक उपभोक्ता फोरम तक आसानी से पहुँचने हेतु परेशानीमुक्त, तीव्र और सस्ती सुवधि प्रदान करता है, जसिसे वहाँ जाने एवं अपनी शकियत दर्ज करने हेतु शारीरिक रूप से उपस्थति होने की आवश्यकता नहीं होती है।
 - इसका उद्देश्य डिजिटिज़ करना और प्रौद्योगिकि की मदद से उपभोक्ताओं हेतु न्याय तक पहुँच को आसान बनाना है।
- राइट टू रपियर पोर्टल:
 - **LiFE (लाइफ़सटाइल फॉर एनवायरनमेंट)** आंदोलन को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को नयिोजति अप्रचलन से बचाने हेतु वभिग ने "राइट टू रपियर पोर्टल" का विकास शुरू कयिा है, जसिके परिणामस्वरूप ई-अपशषिट में वृद्धि हुई है।
 - उम्मीद है कि पोर्टल लागत, मौलिकता और स्पेयर पार्ट्स की वारंटी से संबंधति चतिाओं को दूर करेगा।
- ई-अपशषिट को कम करना:
 - वभिग **इलेक्ट्रॉनिक और वदियुत अपशषिट (ई-अपशषिट)** को कम करने और अधिकि टकिाऊ उपभोक्ता पारसिथितिकि तंत्र को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ पहनने योग्य उपकरणों के लयि चार्जिंग समाधान हेतु एक हैकथॉन आयोजति करने की योजना बना रहा है।
 - वायरलेस चार्जिंग वधियिों का भी पता लगाया जा रहा है, जो **ई-अपशषिट को कम करने** में मदद करेगा।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारतीय वधिान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों/ वशिषाधिकारों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2012)

1. उपभोक्ताओं को खाद्य की जाँच करने के लयि नमूने लेने का अधिकार है।
2. उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में शकियत दर्ज करता है तो उसे इसके लयि कोई फीस नहीं देनी होगी।
3. उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शकियत दर्ज कर सकता है।

नमिनलखिति कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनयि:

(a) केवल 1

- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/world-consumer-rights-day-2023-1>

